

रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्य. परिपत्र सं. 8/2022-23
संदर्भ.: एचओ/डीओएस/डाक/2022/00287

पर्यवेक्षण विभाग

29 दिसंबर, 2022

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों

महोदय/महोदया,

केंद्रीकृत रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीआरएमआईएस) पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी विवरणियों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में

बैंक ने डेटा प्रस्तुत करने में आसानी, अधिक प्रभावी डेटा संग्रह एवं इसके उपयोग के लिए एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म नामतः केंद्रीकृत रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीआरएमआईएस) को लागू किया है।

2. इस संबंध में, आ.वि.कं. को सूचित किया जाता है कि एक्सबीआरएल आधारित सीआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से यथा 31 दिसंबर, 2022 तक की स्थिति के संदर्भ में विवरणी प्रस्तुत करें। मौजूदा ओआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई कोई भी विवरणी/सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी। मौजूदा ओआरएमआईएस पोर्टल 31 दिसंबर, 2022 की मध्यरात्रि तक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

3. अन्य सभी रिपोर्टिंग निर्देश 31 दिसंबर, 2021 के मास्टर परिपत्र सं. रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्य. परिपत्र सं.7/2021-22 के प्रावधानों द्वारा शासित किये जाएंगे।

भवदीय,

(एस.के.पाढी)
महाप्रबंध

